

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.. 7 (4) अकाद/आकाशि/2020/924-28 दिनांक: 23 मार्च, 2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- कोरोना वायरस (COVID -19) संक्रमण की रोकथाम बाबत।
संदर्भ :- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक प.1 (1) चिस्वा/गुप-2/2020 दिनांक 22 मार्च, 2020

महोदय,

कोरोना वायरस जनित महामारी - संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्रांक प.1 (1) चिस्वा/गुप-2/2020 दिनांक 22 मार्च, 2020 के माध्यम से जारी निर्देशों की अनुपालना में कॉलेज शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 31 मार्च, 2020 तक वर्क फ्रॉम होम कार्यशैली** द्वारा अपने घर से ही निर्देशित राजकार्य निष्पादित करेंगे। इस सम्बन्ध में सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा / सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा राजकार्य निष्पादन सम्बन्धी निर्देशों की घर से कार्य निष्पादन / पालना सुनिश्चित करना, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व है।

उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त सभी प्राचार्य एवं शिक्षकगण ध्यान दे कि आप सभी को इस अवकाश अवधि में घर से ही निम्न शैक्षणिक कार्य भी निष्पादित करने हैं:-

1. अपने विषय से सम्बन्धित विषयवस्तुवार नोट्स तैयार करना, जिन्हें विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने हेतु अपलोड किया जायेगा।
2. मोबाईल / कैमरा की सहायता से E-content तैयार करना, जिसे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाने हेतु अपलोड किया जा सके।
3. विद्यार्थियों की सहायता के लिए अपने विषय से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर तैयार करना तथा प्रमुख प्रतियोगी एवं विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में पूछे गये विषय सम्बन्धी प्रश्नों के मॉडल उत्तर तैयार करना जिन्हें विद्यार्थियों के लिए अपलोड किया जा सके।
4. प्रत्येक प्राचार्य एवं शिक्षक इस अवधि में मासिक सिलेबस आधार पर तीन प्रश्नपत्र तैयार करे जो कि विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाये जायेंगे। इन प्रश्नपत्रों का संग्रह महाविद्यालयों के माध्यम से करवाया जायेगा।
5. रिसर्च गतिविधियों को जारी रखें।
6. विषय सम्बन्धित लेख, पेपर इत्यादि लिखें।
7. प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम हेतु प्रश्न सामग्री तैयार करें।


उक्त अकादमिक कार्य जो आप द्वारा किये जायें उसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों को भी प्रेरणा मिल सके। साथ ही आप द्वारा छात्रहित में किये गये कार्यों को भी छात्रों तक पहुँचाने का प्रयास करें।

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवधि में अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक सभी राजकीय महाविद्यालय पूर्णतय: बन्द रहेंगे परन्तु सभी अधिकारी/कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कार्यशैली से कार्य करेंगे।

इसी प्रकार दिनांक 31 मार्च, 2020 तक समस्त निजी महाविद्यालय भी पूर्णतय: बन्द रहेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.. 7 (4) अकाद/आकाशि/2020/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को मेल करने हेतु

दिनांक: 23 मार्च, 2020


संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

acad Letter

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)धिरवा/मुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 22.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.2020 एवं 19.03.2020 की निरन्तरता में सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएँ, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतः बन्द रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है:-

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
2. चिकित्सा शिक्षा
3. आयुर्वेद
4. गृह (पुलिस, कारागार, गृह रक्षा, एफ. एस. एल.)
5. वित्त
6. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
7. बिजली (ऊर्जा)
8. पेयजल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)
9. स्वायत्त शासन (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद)
10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
11. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
12. पंचायती राज
13. सूचना एवं जनसम्पर्क
14. सूचना प्रौद्योगिकी
15. परिवहन
16. सामान्य प्रशासन
17. स्टेट मोटर गैराज
18. विधि

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए संबंधित विभाग के सचिव, जिला कलक्टर या संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।




उक्त प्रतिबन्ध मीडिया/प्रेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, सभी प्रकार के चिकित्साकीय संस्थान (मेडिकल स्टोर सहित), औषधि एवं सर्जिकल आईटम्स के विनिर्माता, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एजेन्सी, दूध डेयरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, किराना एवं प्रोविजनल स्टोर, मेडिकल स्टोर एवं सर्जिकल उपकरण, फल-सब्जियों की दुकानें, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस पर लागू नहीं होगा।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रान्सापोर्ट, प्राइवेट बसें, टेक्सियां, आटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय (Inter State), अन्तरराज्यीय (Intra State), संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर एवं अस्पताल के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे।


बन्द के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर/आयुक्त पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किये जावे।

उक्त आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित जावे। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


22/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
12. निजी /रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव